प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 26.05.2026

#OperationConviction

> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से गला घोटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 55,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2024 धारा 103(1),351(2), बीएनएस बनाम सुशील उर्फ स्वामी पुत्र सुरेन्द्र निवासी बक्सेना थाना हजरतपुर, बदायूँ की विवेचना विवेचक उप निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार आरक्षी विनोद द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 26.05.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील उर्फ स्वामी को धारा 103(1) बीएनएस के अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड व 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील उर्फ स्वामी को धारा 351(2) बीएनएस के अपराध में 02 वर्ष के कारावास के दण्ड व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी विनोद एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह तथा लोक अभियोजक श्री सुधीर कुमार मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।